

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म0प्र0

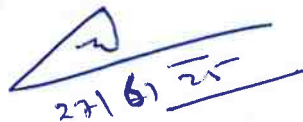
क्रमांक- 201 /2025

भोपाल, दिनांक - 27.06.25

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2025)

मैं अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन पश्चात अविलंब प्रभावशील होगा :-

1.	श्री अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ़ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला ब. संपूर्ण जिला भोपाल	1 म0प्र0 शासन, विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम क्रं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त सारणी के कालम क्रं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण । 2 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण । 3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण । 4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण । 5. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र 6. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र । 7. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां 8. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो ।
----	---	---	--


27/6/25

		स. संपूर्ण तहसील हूजूर एवं कोलार जिला भोपाल आरक्षी केन्द्र 1. एम.पी. नगर 2. टी.टी. नगर 3. हबीबगंज 4. यातायात 5. आबकारी 6. रातीबड़ 7. बैरागढ़ 8. एस.टी.एफ. 9. छोला मंदिर	9. इंचायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण 10. वन विधि (भारतीय वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम) से उद्भूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण 11. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958 12. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद. 13. सरफेसी एक्ट से संबंधित परिवाद एवं अन्य समस्त कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर के ज्ञापन क्रं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश क्रं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण 1. समस्त आपराधिक प्रकरण 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. जिला भोपाल (तहसील बैरसिया सहित) के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।
2.	श्रीमती मेघा अग्रवाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. मंगलवारा 2. कटारा हिल्स 3. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो)	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।


2016-17

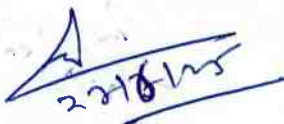
3.	श्री तथागत यागनिक तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. मिसरोद, 2. मंगलवारा . 3. सूखी सेवनिया, 4. अयोध्यानगर 5. अवधपुरी, 6. अशोकागार्डन, 7. जहांगीराबाद	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण। 3. एम.पी.एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरण
4.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केंद्र 1. हबीबगंज 2. बागसेवनिया, 3. कटारा हिल्स 4. कोलार रोड, 5. गोविंदपुरा 6. निशातपुरा	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
5.	कु. लक्ष्मी वास्कले बाइसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. निशातपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों 1. शाहपुरा, 2 टी.टी. नगर 3 रातीबड, 4 स्टेशन बजरिया के परिवाद
6.	श्रीमती शोभना गौतम षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केंद्र 1. टी.टी. नगर, 2. सी.आई.डी. 3. कटारा हिल्स 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज, 6. चूनाभट्टी	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संधोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74,

28/6/25

		7. तलैया 8. पिपलानी 9. जहांगीराबाद 10. छोला मंदिर 11. अशोका गार्डन 12. खजूरी सडक 13. बैरागढ़ 14. बिलखिरिया 15. श्यामला हिल्स	75, 76, 77, 78, 87, 96, 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
7.	श्रीमती शीला मैना यादव चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. टीलाजमालपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों 1. मिसरोद, 2. कमला नगर 3. मंगलवारा 4. हनुमानगंज के परिवाद
8.	श्री लोकेश तारन अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गोविंदपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।



9.	श्रीमती गुंजन शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. चूनाभट्टी 2. खजूरी सड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. टीलाजमालपुरा, 5. तलैया 6. बैरागढ़ 7. शाहपुरा	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
10.	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (नगर निगम न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. शाहपुरा 2. कोलार रोड 3. गांधीनगर 4. शाहजहांनाबाद संपूर्ण तहसील हुजूर एवं कोलार	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 1 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2 नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि० 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 7. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण।
11.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. अयोध्या नगर, 2. मिसरोद 3. शाहपुरा, 4. गौतम नगर 5. एम.पी. नगर	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संशोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493,



		6. हबीबगंज 7. बागसेवनिया 8. मंगलवारा 9. परवलिया सड़क 10. अरेरा हिल्स 11. स्टेशन बजरिया, 12. गोविंदपुरा 13. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 14. साईबर क्राइम (यदि कोई प्रकरण हो)	498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
12.	श्री भारत सिंह रघुवंशी चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कोहेफिजा 2. चूनाभट्टी 3. अवधपुरी 4. मिसरोद 5. सी.आई.डी. संपूर्ण तहसील हुजूर एवं कोलार	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. पासपोर्ट अधिनियम
13.	श्री शरद जायसवाल दसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. बागसेवनिया 2. कमला नगर 3. क्राइम ब्रांच (यदि कोई प्रकरण हो) 4. साईबर क्राइम	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।



		(यदि कोई प्रकरण हो)	4. सायबर कार्डिम एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित परिवाद, धारा 156 (3) दं.प्र. सं./175 (3) भा.ना.सु.सं. 2023 के आवेदन के प्रकरण। 5. जिला मुख्यालय भोपाल के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रकरण।
14.	सुश्री आरती आर्य ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना 2. निशातपुरा 3. शाहजहांनाबाद, 4. कोलार रोड 5. गांधीनगर 6. कोहेफिजा 7. रातीबड 8. कोतवाली, 9. ऐशबाग, 10. सूखीसेवनिया, 11. काइम ब्रांच, 12. अवधपुरी 13. टीला जमालपुरा 14. जी.आर.पी. 15. आर.पी.एफ. 16. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा,	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण। 1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिश्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए



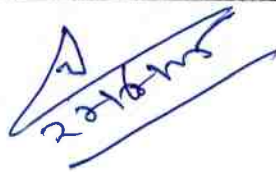
		खेजड़ादेव, गुराडिया	आपराधिक प्रकरण।
15.	श्री अनुराग खरे, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.	1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, शाजापुर, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
16.	सुश्री पलक राय तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. गौतम नगर 2. सूखी सेवनिया 3 एन.डी.पी.एस.	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों 1. सूखी सेवनिया, 2. गौतम नगर 3. अयोध्यानगर 4. गोविंदपुरा के परिवाद
17.	श्री राहुल सिंह यादव तेईसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. हनुमानगंज 2. अरेरा हिल्स	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।


22/6/20

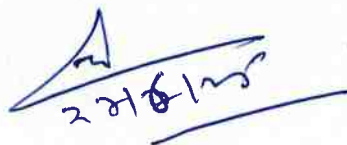
18.	सुश्री कल्पना कोतवाल पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. टी.टी. नगर 2. एम.पी. नगर 3. कमला नगर 4. परवलिया सड़क 5. ऐशबाग 6. रातीबड़	1. धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
19.	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 2. कोहेफिजा 3. श्यामला हिल्स 4. पिपलानी 5. कोतवाली 6. छोला मंदिर	1. धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
20.	श्री आशीष मिश्रा उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. खजूरी सड़क 2. श्यामला हिल्स	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
21.	श्री कृष्णकांत बागरे बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. अशोका गार्डन 2. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा,	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।



		विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	
22.	श्रीमती अंजली सिंह बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. अरेरा हिल्स 2. गांधीनगर 3. स्टेशन बजरिया 4. हनुमानगंज 5. गौतम नगर 6. बिलखिरिया,	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
23.	श्री कपिल बौरासी सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
24.	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. पिपलानी सम्पूर्ण तहसील हुजूर एवं कोलार	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. नापतोल अधिनियम 1985 5. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण। 6. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि० 1952
25.	सुश्री भाविनी सिंह सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. बिलखिरिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।



			4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. चूनाभट्टी, 2. श्यामला हिल्स 3. खजूरीसड़क, 4. हबीबगंज 5. तलैया
26.	सुश्री एकता ठाकुर ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. ऐशबाग	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. परवलिया सड़क, 2. छोला मंदिर, 3. ऐशबाग 4. बिलखिरिया
27.	श्रीमती तनुश्री शिवहरे षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. अयोध्या नगर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों 1 जहांगीराबाद, 2. अवधपुरी, 3. निशातपुरा 4 अशोकागार्डन के परिवाद
28.	श्री राहुल कुमार नामदेव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. स्टेशन बजरिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।


23/6/25

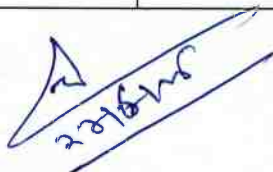
29.	श्री जयदीप मौर्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. जहांगीराबाद	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।
30.	सुश्री हेमलता अहिरवार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. परवलिया सड़क	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. शाहजहांनाबाद , 2. बागसेवनिया, 3. टीलाजमालपुरा, 4. कटारा हिल्स 5. पिपलानी
31.	सुश्री हर्षा परमार, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. तलैया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. कोलार रोड, 2. कोतवाली, 3. गांधीनगर 4. बैरागढ़
32.	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	—	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।

22/6/20

			भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों 1. अरेरा हिल्स 2. एम.पी. नगर 3. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया, 4. कोहेफिजा के परिवाद
33.	श्री अर्जित दुबे चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तहसील बैरसिया, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. बैरसिया 2. आबकारी वृत्त संपूर्ण तहसील बैरसिया	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 5. तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आबकारी विभाग से उद्भूत प्रकरण। 6. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
34.	सुश्री रंजना डोडवे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	आरक्षी केन्द्र 1. नजीराबाद	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये



			आपराधिक प्रकरण । 5. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 6. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 7. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इंचायरमेंटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण
35.	श्री राजन गुप्ता द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया	आरक्षी केंद्र 1. ईटखेडी, तहसील बैरसिया 2. गुनगा 3. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट, रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा, परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी,	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 5. आरक्षी केंद्र नजीराबाद, गुनगा एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उद्भूत धारा 138 निगोशियेबल



		राताताल, करधई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट, मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनौतिया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत।	इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण।
36.	सुश्री अर्पणा सोनी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया	—	1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 तथा मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

// सामान्य नोट //

01. कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई भी प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त (विशेष/अर्जेंट प्रकृति की परिस्थितियों को छोड़कर) किसी भी मामले में कार्यविभाजन की व्यवस्था से परे संज्ञान की अधिकारिता नहीं होगी। कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।


21/6/24

02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।

03. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय के प्रकरणों की अवशेष समस्त कार्यवाही, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

04. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय के प्रकरणों की अवशेष समस्त कार्यवाही, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

05. इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दांडिक मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

06. उक्त कंडिका क्र.-03, 04 व 05 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

07. इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र में से आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एवं एम.पी. नगर के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री जयदीप मौर्य न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र हबीबगंज, रातीबड़ एवं यातायात के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही सुश्री पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र बैरागढ़, छोला मंदिर, एस.टी.एफ. एवं आबकारी के अपराध से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही श्री आशीष मिश्रा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल द्वारा संपादित की जावेगी।



08. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एम.पी. नगर, हबीबगंज, यातायात, आबकारी, रातीबड़, बैरागढ़, छोला मंदिर से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही श्री राहुल सिंह यादव, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।

09. आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल, आरक्षी केन्द्र रातीबड़ क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री राहुल सिंह यादव, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री आशीष मिश्रा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र हबीबगंज क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र श्री शरद जायसवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल एवं आरक्षी केन्द्र बैरागढ़, छोला मंदिर क्षेत्र से उदभूत आपराधिक परिवाद पत्र सुश्री भाविनी सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल के न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।

10. उक्त कंडिका 03 लगायत 09 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों से संबंधित अन्य कोई कार्यवाही (जो कंडिका 03 लगायत 09 के अंतर्गत न आती हो) निम्नानुसार न्यायाधीशगण संपादित करेंगे :-

क्र.	न्यायिक अधिकारीगण का नाम	माह
1	सुश्री हेमलता अहिरवार	जून 2025
2	श्रीमती एकता ठाकुर	जुलाई 2025
3	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा	अगस्त 2025
4	श्री आशीष मिश्रा	सितम्बर 2025
5	श्री राहुल कुमार नामदेव	अक्टूबर 2025
6	श्री कपिल बौरासी	नवम्बर 2025
7	सुश्री तनुश्री शिवहरे	दिसम्बर 2025
8	सुश्री पलक राय	जनवरी 2026
9	श्रीमती शीला मैना यादव	फरवरी 2026
10	सुश्री लक्ष्मी वास्कले	मार्च 2026
11	सुश्री भाविनी सिंह	अप्रैल 2026
12	श्री शरद जायसवाल	मई 2026

उक्त अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र.-1 के अनुसार रहेगा।

11. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके

न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

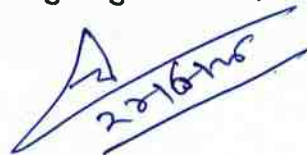
13. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची कं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।

14. कार्यविभाजन पत्रक में यदि **भोपाल** थाना क्षेत्र तथा **बैरसिया** थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः **श्री ब्रजेश चंसोरिया न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल** तथा **श्री राजन गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया** जिला भोपाल द्वारा किये जायेंगे।

15. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम प्रभारी, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा किन्हीं कारणवश किसी **आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप** से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) **सुश्री प्रज्ञा मिश्रा न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल** द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) **श्री जयदीप मौर्य न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल** द्वारा लिया जाएगा।

16. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेंगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के समक्ष ही पेश किए जावेंगे।

17. माननीय उच्च न्यायालय म प्र जबलपुर का ज्ञापन कं बी/806/।।। 6-5/14, जबलपुर, दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञापन कं 801/सां0ले0/2015, भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन कं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा **सुश्री आरती आर्य, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल**; थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार कं 01 से 15 तक एवं **श्री राहुल कुमार नामदेव, जेएमएफसी भोपाल संलग्न**; थाना एसटीएफ



भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार क्रं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन अभिलिखित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा अन्य अपराध क्रमांक में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो श्री राहुल सिंह यादव जेएमएफसी, भोपाल पूर्व आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

18. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर के थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण क्रमानुसार संपादित करेंगे:-

क्र.	न्यायाधीशगण के नाम	क्र.	न्यायाधीशगण के नाम
1	सुश्री मेघा अग्रवाल	16	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल
2	श्री तथागत यागनिक	17	श्री आशीष मिश्रा
3	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	18	श्री कृष्णकांत बागरे
4	कु. लक्ष्मी वास्कले	19	श्रीमती अंजली सिंह
5	श्रीमती शोभना गौतम	20	श्री कपिल बौरासी
6	श्री लोकेश तारन	21	सुश्री श्रुति जैन
7	श्रीमती गुंजन शर्मा	22	श्री ब्रजेश चंसोरिया
8	श्रीमती अनुदिता गुप्ता	23	सुश्री भाविनी सिंह
9	श्री शरद जायसवाल	24	सुश्री एकता ठाकुर
10	सुश्री आरती आर्य	25	श्रीमती शीला मैना यादव
11	सुश्री तनुश्री शिवहरे	26	श्री राहुल कुमार नामदेव
12	श्री अनुराग खरे	27	श्री जयदीप मौर्य
13	सुश्री पलक राय	28	सुश्री हेमलता अहिरवार
14	श्री राहुल सिंह यादव	29	सुश्री हर्षा परमार
15	सुश्री कल्पना कोतवाल	30	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा

उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्रम में फेर बदल किया जा सकेगा। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में

इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा।

19. धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण उपरोक्त क्रमानुसार विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त मृत बंदियों की मृत्यु की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक जांच हेतु पृथक से आदेश प्रसारित किया जा सकेगा।

20. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कांफ्रेंसिंग, धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. कथन एवं धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारण वश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क्र.-1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

21. श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल आरक्षी केंद्र—नजीराबाद एवं श्री राजन गुप्ता न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केंद्र ईटखेड़ी तहसील बैरसिया, सुश्री रंजना डोडवे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केन्द्र गुनगा, सुश्री अर्पणा सोनी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केन्द्र बैरसिया के धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

22. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही निम्नानुसार न्यायाधीशगण संपादित करेंगे :-

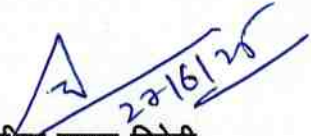
क्र.	न्यायिक अधिकारीगण का नाम	माह
1	श्री लोकेश तारन	जून 2025
2	श्री शरद जायसवाल	जुलाई 2025
3	सुश्री पलक राय	अगस्त 2025
4	श्रीमती शीला मैना यादव	सितम्बर 2025
5	श्री कपिल बौरासी	अक्टूबर 2025
6	श्री राहुल कुमार नामदेव	नवम्बर 2025
7	श्री जयदीप मौर्य	दिसम्बर 2025
8	श्री कृष्णकांत बागरे	जनवरी 2026
9	श्री आशीष मिश्रा	फरवरी 2026
10	श्री राहुल सिंह यादव	मार्च 2026



11	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	अप्रैल 2026
12	श्री ब्रजेश चंसोरिया	मई 2026

उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्रम में फेर बदल किया जा सकेगा। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात् प्रभार अनुसूची क्रमांक 1 के अनुसार रहेगा।

23. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।


 अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 भोपाल, म.प्र.

// अनुसूची क-1 //

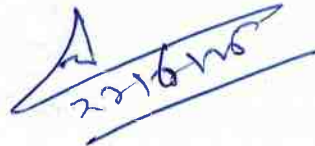
1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर, उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुसूची क-1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।

2. यदि अनुसूची क. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शामिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1.	श्री अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री तथागत याग्निक न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री भारत सिंह रघुवंशी न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री शरद जायसवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री तरुणेंद्र प्रताप सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी


 23/6/25

2.	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री लक्ष्मी वास्कले न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री तरुणेंद्र प्रताप सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी
3.	कु. लक्ष्मी वास्कले न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्री तरुणेंद्र प्रताप सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री शरद जायसवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी
4.	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री लक्ष्मी वास्कले न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री पलक राय न्या.मजि.प्र. श्रेणी
5.	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि. प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वास्कले न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री राहुल सिंह यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
6.	श्री तरुणेंद्र प्रताप सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी (नगर निगम मजि.)	श्री आशीष मिश्रा न्या. म. प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री पलक राय न्या.मजि.प्र. श्रेणी
7.	श्री भारत सिंह रघुवंशी न्या.मजि.प्र. श्रेणी एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय	श्री शरद जायसवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री एकता ठाकुर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री तरुणेंद्र प्रताप सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वास्कले न्या.मजि.प्र. श्रेणी
8.	श्री शरद जायसवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री पलक राय न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्री भारत सिंह रघु वंशी न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री राहुल सिंह यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.मजि. प्र. श्रेणी
9.	श्री अनुराग खरे, न्या.म.प्र. श्रेणी (विशेष रेल्वे मजि.)	श्री भारत सिंह रघुवंशी न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री पलक राय, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री लोकेश तारन न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
10.	सुश्री पलक राय, न्या.म. प्र.श्रेणी	सुश्री एकता ठाकुर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री राहुल सिंह यादव, न्या.म. प्र.श्रेणी	श्री भारत सिंह रघु वंशी न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री अनुराग खरे, न्या.म.प्र.श्रेणी
11.	श्री राहुल सिंह यादव न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री आशीष मिश्रा न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री पलक राय, न्या. म.प्र.श्रेणी	श्री सुश्री भाविनी सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी
12.	श्री आशीष मिश्रा न्या.म. प्र.श्रेणी	सुश्री भाविनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री हर्षा परमार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.म.प्र.	श्री राहुल सिंह यादव न्या.म.



[illegible]

(एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)					
24.	श्री तथागत यागनिक न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.म. प्र.श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र. श्रेणी	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी
25.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र. श्रेणी	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या. म.प्र.श्रेणी	सुश्री अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री तथागत यागनिक न्या.म.प्र.श्रेणी
26.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या. म.प्र.श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र. श्रेणी	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रेणी
27.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या. म.प्र.श्रेणी	सुश्री अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री तथागत यागनिक न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रेणी
28.	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री अंजली सिंह न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री तथागत यागनिक न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.म. प्र.श्रेणी
29.	सुश्री अंजली सिंह न्या.म. प्र.श्रेणी	श्री तथागत यागनिक न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र. श्रेणी
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)					
30.	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री आरती आर्य न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती एकता ठाकुर न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे न्या.म.प्र. श्रेणी
31.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री आरती आर्य न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.म.प्र. श्रेणी
32.	सुश्री आरती आर्य न्या.म. प्र.श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.म.प्र.श्रेणी	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, न्या.म.प्र.श्रेणी
(बैरसिया तहसील न्यायालय)					
33.	श्री अर्जित दुबे न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री अर्पणा सोनी न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री हर्षा परमार न्या.म.प्र.श्रेणी

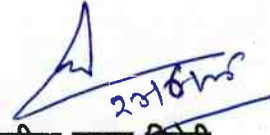
2016-17

34.	सुश्री रंजना डोडवे न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री अर्पणा सोनी न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.म.प्र. श्रेणी
35.	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री अर्पणा सोनी न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री भाविनी सिंह, न्या.म.प्र.श्रेणी
36.	सुश्री अर्पणा सोनी न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.म.प्र.श्रेणी	श्री राजन गुप्ता न्या.म.प्र.श्रेणी	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा न्या.म.प्र.श्रेणी
(किशोर न्याय बोर्ड)					
37.	सुश्री श्रुति जैन प्रधान न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल	-----	-----	-----	-----

नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजि० भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

2. भोपाल जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


श्री अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल म.प्र.

/// अनुसूची क.- 2 ///

धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं.** के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्रीमती मेधा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. श्यामला हिल्स, 2. स्टेशन बजरिया
2.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. खजूरी सडक 2. एसटीएफ एवं एटीएस
3.	कु. लक्ष्मी वस्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. टी.टी. नगर 2. गौतम नगर
4.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव <u>इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया</u> , 2 एसटीएफ/एटीएस (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
5.	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी 3 सूखीसेवनिया
6.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 बिलखिरिया 2 रातीबड़, 3 आर.पी.एफ.,
7.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 छोला मंदिर 2 शाहजहांनाबाद, 3. सी.आई.डी.
8.	सुश्री आरती आर्य, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. चूनाभट्टी, 2. शाहपुरा
9.	सुश्री पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. कमला नगर 2. गांधीनगर 3. कोलार रोड
10.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 अशोका गार्डन 2 काइम ब्रांच, 3 साइबर काइम्स
11.	श्रीमती शिवानी अक्षय तैम्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. ऐशबाग, 2 अयोध्या नगर
12.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. अजाक 2. जहांगीराबाद, 3. कोहेफिजा
13.	सुश्री भाविनी सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 निशातपुरा 2 टीलाजमालपुरा, 3. जी.आर.पी.
14.	सुश्री एकता ठाकुर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 बागसेवनिया 2. तलैया 3 मिसरोद



15.	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 महिला थाना, 2. कटारा हिल्स 3. गोविंदपुरा
16.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. सीबीआई 2. मंगलवारा 3. अरेरा हिल्स
17.	सुश्री हर्षा परमार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 एम.पी. नगर, 2 हबीबगंज, 3 परवलिया सडक
18.	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. बैरागढ, 2 कोतवाली 3. अवधपुरी

नोट:- 1. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित करेंगे।

2. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं.** के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध **वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट** प्रभार में रहेंगी।

3. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1.	श्रीमती मेधा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वस्करले, न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
2.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वस्करले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
3.	कु.लक्ष्मी वस्करले, न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
4.	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि. प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आरती आर्य, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
5.	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आरती आर्य, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी


20/6/25

[illegible]

	श्रेणी			श्रेणी	मजि.प्र. श्रेणी
17.	सुश्री हर्षा परमार, न्या. मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वस्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
18.	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु.लक्ष्मी वस्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शोभना गौतम, न्या.मजि.प्र. श्रेणी

4. इसके अतिरिक्त धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्रं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री तथागत यागनिक न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 ऐशबाग, 2 गांधीनगर 3 हनुमानगंज, 4. गौतम नगर
2	श्री लोकेश तारन न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 ईओडब्ल्यू 2. आर.पी.एफ 3 कोहेफिजा. 4 जहांगीराबाद,
3	श्री शरद जैसवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 अवधपुरी 2 चूनाभट्टी 3 बैरागढ 4. एटीएस/एसटीएफ (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार) 5. शाहजहानाबाद,
4	श्री राहुल सिंह यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. पिपलानी, 2 जी.आर.पी. 3. मिसरोद 4 महिला थाना 5 काइम ब्रांच
5	श्री आशीष मिश्रा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 कोतवाली 2 हबीबगंज 3 कोलार रोड 4. सी.आई.डी. 5 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया
6	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 बिलखिरिया 2 गोविंदपुरा, 3 निशातपुरा 4 मंगलवारा 5 एम.पी. नगर
7	श्री कपिल बौरासी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 शाहपुरा 2 सूखीसेवनिया 3 टी.टी. नगर, 4. कटारा हिल्स 5 रातीबड़
8	श्री बृजेश कुमार चंसोरिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 श्यामला हिल्स, 2 अयोध्या नगर 3 अजाक 4 स्टेशन बजरिया, 5 अशोकागार्डन
9	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.मजि.प्र.	1 टीलाजमालपुरा, 2 बागसेवनिया 3 छोला मंदिर

 22/6/25

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
	श्रेणी	4 परवलिया सडक 5. सीबीआई
10	श्री जयदीप मौर्य न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. तलैया 2. साइबर काइम्स, 3 खजूरी सडक 4. कमलानगर, 5 अरेरा हिल्स

5. तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

1. तहसील बैरसिया जिला भोपाल में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केंद्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री रंजना डोडवे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. गुनगा, 2. ईटखेड़ी बैरसिया तहसील
2	सुश्री अर्पणा सोनी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. बैरसिया, 2. नजीराबाद

नोट:-1. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायिक दंडाधिकारी के अवकाश में रहने पर धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

2. तहसील बैरसिया जिला भोपाल में धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री अर्जित दुबे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. गुनगा, 2. ईटखेड़ी बैरसिया तहसील
2	श्री राजन गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 नजीराबाद, 2. बैरसिया

अग्नीश्वर कुमार द्विवेदी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोपाल, (म0प्र0)

अनुमोदित
मनोज कुमार श्रीवास्तव
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, (म0प्र0)